राजस्व वाद 188/2022
जीसीएमएस नंबर–2022/330
याकुब खां बनाम् नानु खां वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास अभिलाषा , आर.ए.एस.

वादीगण–

राजस्व वाद संख्या : 188/2022

1. याकुब खां पुत्र नानू खां जाति गौरी, निवासी–गोरियों की ढाणी, जायल, नागौर।

प्रतिवादीगण –

बनाम

1. नानु खां पुत्र महमद खां
2. आमीन खां पुत्र नानू खां
3. बिलाल खां पुत्र नानू खां
4. युसुफ खां पुत्र नानू खां
   जातियान– गौरी निवासी गोरियों की ढाणी जायल , तहसील–जायल
5. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थिति :–

1. श्री इस्लामुदीन काजी अधिवक्ता वादीगण की ओर से।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मुनीराम मालोदिया।
3. प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित ।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दावा अन्तर्गत धारा 88 , 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

– : : डिक्री आदेश : : –

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व ईस्लामुदीन काजी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मुनीराम मालोदिया प्रतिवादी संख्या 5 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि– मौजा जानवास के खेत खसरा नंबर 1209 रकबा 7.2600 हैक्टैयर व खसरा नंबर 1212 रकबा 1.2626 हैक्टैयर मुतदाविया भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित किया जाकर मुतदाविया भूमि बंटवाड़ा/विभाजन वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के मध्य माफिक वादपत्र एवं साक्ष्य सबूत एवं ईकबाली जबाब के अनुसार हम वादी का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार से अंतिम डिकी किया जाना उचित समझते हैं।

1. वादी याकुब खां के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1209 रकबा 7.2600 हैक्टैयर में से 1.6187 हैक्टेयर दक्षिणी पश्चिमी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 नानू खां के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1209 रकबा 7.2600 हैक्टैयर में से 1.9424 हैक्टेयर दक्षिणी पूर्वी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 आमीन खां के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1209 रकबा 7.2600 हैक्टैयर में से 1.6187 हैक्टेयर सबसे उतरी भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner

4. प्रतिवादी संख्या 3 बिलाल खां के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1209 रकबा 7.2600 हैक्टैयर में से 0.3287 हैक्टेयर मध्य भाग माफिक नजरीनक्शानुसार एवं खेत खसरा नंबर 1212 रकबा 1.2626 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 युसुफ खां के हक बंट कब्जा काश्त एवं खातेदारी में मौजा जानवास का खेत खसरा नंबर 1209 रकबा 7.2600 हैक्टैयर में से 1.6187 हैक्टेयर बीच का भाग माफिक नजरीनक्शानुसार रखा जाकर खातेदार घोषित किया जाता है।
6. नजरीनक्शा निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
7. बैंक के रहन खसरान् रहन होने की स्थिति में बैंक के यथावत रहन रहेंगें। उक्त के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक ....24/12/24........ को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(अभिलाषा)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

Scanned with CamScanner